न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2853—एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 6—8—12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला विदिशा प्रकरण कमांक 13/निगरानी/2011—12.

———

रहीस मोहम्मद आ. अजीज मोहम्मद
निवासी ग्राम मोहम्मदगढ़ तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा म.प्र. ———— आवेदक

विरूद्ध

बाबू खां आ. सिकन्दर खां (मृतक) द्वारा उत्तराधिकारीगण —
1— राबिया पत्नी स्व. बाबू खां
2— असलम खां
3— अकरम खां
4— अनवर खां
5— किशवर खां
पुत्रगण स्व. बाबू खां
निवासीगण ग्राम मोहम्मदगढ़ तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा म.प्र. ———— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर.
अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता, श्री बी.के. श्रीवास्तव.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11-3-15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/निगरानी/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 6—8—12 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन के आधार पर विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत

आवेदन पेश किया जो उन्होंने निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की । एस.डी.ओ. ने अपील में दिनांक 23—8—11 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि संहिता की धारा 250 के निर्धारण के लिए दोनों पक्षों की उपस्थिति में फील्ड बुक सहित पुनः सीमांकन करायें तथा यह तय करें कि कब्जा है या नहीं । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण एस.डी.ओ. को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध ही दोनों पक्षों को सुनवाई के उपरांत आदेश पारित करें । अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया । प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि प्रकरण में जो सीमांकन हुआ है वह हितबद्ध पक्षकारों को नियमानुसार सूचना दिए जाने के उपरांत किया गया है जिसमें अनावेदक का 2 बीघा भूमि पर अवैधानिक कब्जा माना है । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य को सवीकार किया है कि उनका विवादित भूमि पर कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है ।

4— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 250 का आवेदन निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अपील में एस.डी.ओ. ने आदेश पारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि संहिता की धारा 250 के निर्धारण के लिए दोनों पक्षों की उपस्थिति में फील्ड बुक

सहित पुनः सीमांकन करायें तथा यह तय करें कि कब्जा है या नहीं । इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील है वह संहिता की धारा 250 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध थी और अनुविभागीय अधिकारी को सीमांकन प्रकरण के विरूद्ध अपील या निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार न होने से उन्हें सीमांकन के संबंध में कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, उचित है और उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर उन्हें तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध ही दोनों पक्षों को सुनवाई के उपरांत गुणदोष पर आदेश पारित करने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई विधिक या न्यायिक त्रुटि नहीं की गई है । उनका आदेश विधिसम्मत आधारों पर होकर पुष्टि योग्य है ।

पणिामततः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर